

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वयिच्छ विज्ञ नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिष्की भवन निर्माण शाखा

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 457 दिनांक 17/01/2020

प्राथमिकी श्रीमती मीनाक्षी जैनी w/o श्री केन्द्र तंवर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- पंजी

जारीये रसीद संख्या 1028/9879, 9880

दिनांक 17/01/2020 को जमा करा दी है ।

p. no. 11 की/2 पिजयु नगर जमीन नम्बर 08
पुनर्जी 3012 की कोठी

9/1/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

प्रति पत्नी → देवेन्द्र तंवर - 0005805393